Title : Regarding the land given by the Central Government to private companies for mining

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरा जो विषय है, वह यह है कि पिछले पाँच सालों के अंदर वन विभाग की जो भूमि है, जहां खनन के लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दी है।

महोदया, बड़े दुख की बात है कि पिछले पांच वर्षों के अंदर 18,922 हेक्टेयर वन भूमि 179 कंपनियों को दी गई है। आज देश पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। आज देश में प्रदूषण काफी हद तक बढ़ रहा है। हम पेड़-पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए वन विभाग की भूमि दी गई है। यह बड़े दुख की बात है। अगर इससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है, तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है।

ये जो आंकड़े आए हैं, जो 18,922 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से 16,490 हेक्टेयर जमीन सिर्फ राज्यों में है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। अगर हम उसमें भी हिस्सा देखें, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से 90 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं।

माननीय सभापति महोदया, हम देखते हैं कि जंगलों में जो आदिवासी समुदाय रहता है, वह पेड़-पौधों को भगवान के रूप में मानता है। अगर वह उसकी पत्तियां और छोटी टहनियों को अपने जीवन में उपयोग के लिए लेता है, तो वन विभाग दिक्कत पैदा करता है। अगर सिर्फ पांच वर्षों के अंदर ही 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, तो इससे आदिवासी समुदाय परेशान हुआ है। विशेषकर बांसवाड़ा के अंदर केलामेला और दांता?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करें। आपको बोलते हुए एक मिनट से ज्यादा का समय हो गया है।

श्री राजकुमार रोत : महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे प्रतापगढ़ जिले के तहत जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर केलामेला और दांता में आदिवासी समुदाय बैठा हुआ है। केन्द्र सरकार ने परमीशन दी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी जांच करके उसको रुकवाया जाए और आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए।